

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल

वाद पुकारा गया। मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। मामले में अभियुक्तों को पुलिस पेपर प्रदान किया गया, तत्पश्चात् मामले को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद के न्यायालय में दौरा सुपुर्द किया गया। अभियुक्तों को निर्देश दिया जाता है कि अग्रिम तिथि को संबंधित न्यायालय में सदेह उपस्थित रहे।

Sd/-

लेखापित

मु० न्या० द०,

व्यवहार न्यायालय, अरवल।